भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5292

जिसका उत्तर 03 अप्रैल, 2025 को दिया जाना है।

.....

बिहार में भू-जल संदूषण

5292. डॉ. मोहम्मद जावेदः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को हाल के अध्ययनों की जानकारी है जिसमें बिहार के गंगा के मैदानी इलाकों में पेयजल में मैंगनीज की उच्च मात्रा की मौजूदगी को दर्शाया गया है जिसे कैंसर से जोड़ दिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा इस मुद्दे का समाधान करने और प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल में मैंगनीज को कम करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या इन क्षेत्रों में पेयजल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कोई निगरानी और विनियमन उपाय किए जा रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या विशिष्ट कार्रवाई की गई/की जा रही है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क): केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) द्वारा भूमि जल गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम और विभिन्न वैज्ञानिक अध्ययनों के एक भाग के रूप में क्षेत्रीय स्तर पर बिहार सहित पूरे देश के भूमि जल गुणवत्ता आंकडे तैयार किए जाते हैं। विद्युत चालकता (ईसी), कार्बोनेट, सोडियम, नाइट्रेट, फ्लोराइड आदि जैसे अधिकांश नियमित मापदंडों की वार्षिक रूप से निगरानी की जाती है और भारी धातु संबंधी आवधिक विश्लेषण भी किए जा रहे हैं। बिहार के भूजल गुणवत्ता संबंधी आंकड़ों से यह संकेत मिलता है कि राज्य में भूजल सामान्यतः पेय उद्देश्यों के लिए उपयुक्त हैं। हालांकि, वर्ष 2019 के दौरान किए गए विश्लेषण में कुछ छिट पुट पाकेटों में पेय जल के लिए निर्धारित सीमा से अधिक मैंगनीज जैसी भारी धातुओं सहित कुछ संदूषकों की स्थानीय रूप से विद्यमान होने की सूचना प्राप्त हुई है। इस विश्लेषण में जांच किए गए 607 नमूनों में से 34 जिलों के कुछ छिट पुट क्षेत्रों के 221 नमूनों (36.41%) में मैंगनीज की 0.3 मिलीग्राम/लीटर की अनुमत्य सीमा से अधिक की उपस्थिति पाई गई है। तथापि, पेयजल में मैंगनीज की उपस्थिति और कैंसर के मामलों के मध्य सह-संबंध के विषय में आगे और जांच किए जाने की आवश्यकता है।

(ख) से (घ): जल राज्य का विषय है और मैंगनीज के कारण होने वाले भूजल संदूषण सहित भूजल संदूषण के उपशमन के लिए पहल करना और नागरिकों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने का दायित्व मुख्यतः राज्य सरकारों का है। तथापि, केन्द्र सरकार द्वारा इन मुद्दों के समाधान

हेतु राज्य सरकारों के प्रयासों को समर्थन प्रदान करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। कुछ महत्वपूर्ण कदम निम्नलिखित हैं: -

i. सीजीडब्ल्यूबी द्वारा तैयार किए गए भूजल गुणवत्ता संबंधी आंकड़े, जिनमें मैंगनीज जैसे भारी धातु संदूषण के आंकडे भी शामिल हैं, को वार्षिक रिपोर्टों, अर्धवार्षिक बुलेटिनों और पाक्षिक चेतावनियों के माध्यम से नियमित रूप से प्रसारित किया जाता है ताकि हितधारकों द्वारा इस विषय पर त्वरित कार्रवाई की जा सके।

ii. निगरानी दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से सीजीडब्ल्यूबी द्वारा भूजल गुणवत्ता निगरानी के लिए एक नई मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) अपनाई गई है जिसमें भूजल गुणवत्ता का अधिक व्यापक आकलन सुनिश्चित करने के लिए, विशेष रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में नमूना संग्रहण की दर और सघनता बढ़ाने का प्रावधान है।

iii. सीजीडब्ल्यूबी के राष्ट्रीय जलभृत्त मैपिंग कार्यक्रम (नैक्यूम) के अंतर्गत जलभृत्त अध्ययन में भूजल में मैंगनीज जैसी भारी धातुओं जैसे विषैले पदार्थों द्वारा संदूषण सहित भूजल गुणवत्ता के प्रत्येक पहलू पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

iv. मंत्रालय द्वारा राज्यों की साझेदारी में जल जीवन मिशन (जेजेएम) - हर घर जल योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। यह योजना देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पर्याप्त मात्रा में, निर्धारित गुणवत्ता और नियमित एवं दीर्घकालिक आधार पर संदूषण मुक्त नल का पेय जाल उपलब्ध कराने के लिए एक महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय योजना है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत बिहार सहित राज्य स्तर पर जल गुणवत्ता पहलुओं पर कार्रवाई को सुगम बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं -

- जल जीवन मिशन की शुरुआत के बाद से ही जल सुरक्षा इसकी प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक रही है। जेजेएम के तहत, भारतीय मानक ब्यूरो के बीआईएस: 10500 मानक को नल जल सेवा वितरण की गुणवत्ता के लिए निर्धारित मानदंड के रूप में अपनाया गया है।
- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधि आबंटित करते समय रासायनिक संदूषकों द्वारा प्रभावित रिहाइशों में रहने वाली जनसंख्या को 10% वेटेज दिया जाता है।
- "पेयजल गुणवत्ता निगरानी और पर्यवेक्षण फ्रेमवर्क" तैयार किया गया था और इसे अक्टूबर 2021 में राज्यों को उपलब्ध कराया गया था।
- उपर्युक्त फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन को सुगम बनाने के लिए देश में 2180 जल गुणवत्ता जांच प्रयोगशालाएं संस्थापित की गई हैं जिनमें से 123 बिहार में हैं। इसके अतिरिक्त फील्ड टेस्ट किट (एफटीके) के माध्यम से जल के नमूनों का परीक्षण करने के लिए प्रत्येक गांव से पांच व्यक्तियों, विशेष रूप से महिलाओं की पहचान की जाती है और उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यह परामर्श दिया गया है कि वे नियमित आधार पर जल गुणवत्ता की जांच करें और

आवश्यकतानुसार उपचारात्मक कार्रवाई करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि घरों को निर्धारित गुणवत्ता का जल आपूर्ति की गई है।

- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अंतरिम उपाय के रूप में, विशेषकर गुणवत्ता प्रभावित रिहाइशों में, प्रत्येक परिवार को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए सामुदायिक जल शुद्धिकरण संयंत्र (सीडब्ल्यूपीपी) संस्थापित करने का भी परामर्श दिया गया है।

इन सभी सम्मिलित प्रयासों के परिणामस्वरूप, बिहार राज्य द्वारा सूचित किया गया है कि अद्यतन स्थिति के अनुसार जेजेएम मिशन के अंतर्गत राज्य में कोई भी रिहाइश मैंगनीज प्रभावित नहीं है।

v. भूजल प्रदूषण का एक कारण सतही जल स्रोतों के संदूषण से भी जुड़ा हुआ है जिसके लिए देश में सीवेज उपचार संयंत्रों की स्थापना, बहिस्त्राव उपचार संयंत्रों और सीवेज नेटवर्कों की बेहतर प्रणाली आदि जैसे विभिन्न प्रयास किए गए हैं। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) के अंतर्गत, सरकार द्वारा गंगा और इसकी सहायक नदियों की जल गुणवत्ता में सुधार करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। इनमें बिहार के क्षेत्र भी शामिल हैं।

vi. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / प्रदूषण नियंत्रण समितियों (एसपीसीबी/पीसीसी) के सहयोग से जल में प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए जल (निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के उपबंधों का कार्यान्वयन किया जा रहा है। सीपीसीबी द्वारा एसपीसीबी/पीसीसी के माध्यम से प्रवर्तन के लिए पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत अधिसूचित बहिस्त्रावों के निस्सरण हेतु उद्योग विशिष्ट मानक और सामान्य मानक विकसित कर बिन्दु स्रोतों को नियंत्रित करने के लिए जल प्रदूषण पर एक व्यापक कार्यक्रम तैयार किया गया है।

*****